अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.5(275) निपेवि/नियम/2015–16 दिनांक :

समस्त विभागाध्यक्ष,

.....................................,

राजस्थान।

विषय :– सैनिक सेवा के साथ–साथ राज्य सेवा की पारिवारिक पेंशन अधिकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :– वित्त (नियम) अनुभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(4)वित्त/नियम/2013 दिनांक 18.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत वित्त विभाग की संदर्भित अधिसूचना द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 64 को विलोपित तथा नियम 65 के नीचे परंतुक जोड़कर सैनिक सेवा की पारिवारिक पेंशन के साथ दिनांक 18.03.2015 से सिविल सेवा की पारिवारिक पेंशन भी अधिकृत करने का प्रावधान किया गया है। उक्त संशोधन राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 में किया गया है जो दिनांक 01.10.1996 से प्रभावी हैं। अतः दिनांक 01.10.1996 से पूर्व के इस श्रेणी के सेवानिवृतों के मामलों में पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है। दिनांक 01.10.1996 या उसके के बाद सेवानिवृति के मामलों में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशनरों से सादे कागज में तथा पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशनर से प्रपत्र 14 में आवेदन प्राप्त किया जाना है। आवेदन के साथ वर्णात्मक नामावली 4 प्रतियां, सैनिक सेवा के पीपीओ, सिविल सेवा के पीपीओ, पुनर्विवाह न करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं आय संबंधी प्रमाण पत्र की दो–दो प्रतियां भी प्राप्त की जानी है। यदि पेंशनर उपलब्ध करा सके तो आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं खाली चैक की दो–दो प्रतियां प्राप्त की जावे। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एक–एक प्रति कार्यालय रिकार्ड के लिए रखकर शेष कागजात पारिवारिक पेंशन की अभिशंषा के साथ पेंशन विभाग के उस कार्यालय को भिजवाए जाने हैं जहां से पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सैनिक सेवा के साथ–साथ सिविल सेवा की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने हेतु पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर से आवेदन पत्र मय वांछित प्रतियों को प्राप्त कर, प्रमाणित कर पारिवारिक पेंशन अधिकृत करने की अभिशंषा के साथ पेंशन विभाग को प्रकरण भिजवाने हेतु सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

(डी.के.मित्तल)
निदेशक

क्रमांक : एफ.5(275) निपेवि/नियम/2015–16 627-780 H दिनांक : 20-04-15

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड, राज्य सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रति भिजवाते हुए पेंशनरों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जावे।
2. अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर एवं उप/सहायक निदेशक, पी आर 1–4, 2–6, 3 एवं 5–7, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि प्राप्त प्रकरणों की जांच कर पारिवारिक पेंशन अधिकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
3. समस्त कोषाधिकारी, ... राजस्थान को भेजकर लेख है कि पेंशनर को प्रक्रिया संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी जावे।

निदेशक